शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य, दिनांक- 11.10.2024,

थाना बण्डा पुलिस द्वारा अवैध विस्फोट(आतिशबाजी/पटाखे) सहित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुवायां जनपद शाहजहांपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी व रोकथाम अवैध शराब/शस्त्र-विस्फोटक बिक्री-निर्माण एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम/गश्त के दौरान थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनाँक 11.10.2024 को उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय हमराहगण थाना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप UP27AT4703 मे अवैध रुप से विस्फोटक पदार्थ (पटाखे निम्न कम्पनियों के) लेकर पूरनपुर की तरफ से कस्बा बण्डा की तरफ आ रही है। यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है। इस सूचना उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय हमराही कर्म0गण उपरोक्त द्वारा पूरनपुर रोड ददिउरी मोड के पास वाहन चेंकिग करना आरम्भ कर दिये कुछ देर बाद ही एक पिकअप पूरनपुर रोड की तरफ से आते हुए दिखाई दी जिसको हम पुलिस वालो ने रोका गया तब पुलिस वालो के द्वारा देखा गया कि चालक व एक अन्य व्यक्ति चालक के पास वाली सीट पर बैठा हुआ है। पिकअप रुकने के पश्चात हम पुलिस वालो के द्वारा देखा गया कि पिकअप के पीछे भी दो व्यक्ति बैठे हुए है। चालक से पूछताछ किया तो पिकअप चालक ने अपना नाम शिवम पुत्र वेदप्रकाश उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मो0 बाबा चरन दास कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर बताया। चालक के पास बाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सुमित कटियार पुत्र रामचन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी कमालपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर बताया। तथा जो दो व्यक्ति टूलबाक्स पर बैठे हुए थे उन्होने अपना नाम व पता आकाश गुप्ता पुत्र स्व0 रावेन्द्र कुमार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी राम नगर कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर व संजय गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता उम्र करीब 34 वर्ष निवासी राम नगर कालोनी बण्डा थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर बताया। उपरोक्त को समय करीब 16.52 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिनके कब्जे से 18 गत्ते व कुछ खुले जिनका वजन 06 कुन्टल जिनमे अवैध विस्फोटक पदार्थ (पटाखे) विभिन्न कम्पनियो का बरामद हुआ,

उपरोक्त बरामदगी के आधार पर नियमानुसार मु0अ0सं0-668/2024 धारा 5/9B विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया हैं। एवं एक अदद महिन्द्रा पिकअप गाडी रजि सं0- UP27AT4703 अन्तर्गत 207 एम0वी0 एक्ट (सीज) में किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शिवम पुत्र वेदप्रकाश उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मो0 बाबा चरन दास कालोनी थाना बण्डा शाहजहांपुर
2- सुमित कटियार पुत्र रामचन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी कमालपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर
3- आकाश गुप्ता पुत्र स्व0 रावेन्द्र कुमार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी राम नगर कालोनी थाना बण्डा शाहजहांपुर
4- संजय गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता उम्र करीब 34 वर्ष निवासी राम नगर कालोनी बण्डा थाना बण्डा शाहजहांपुर,

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0-668/2024 धारा 5/9B विस्फोटक अधिनियम 1884

बरामदगी का विवरण-

1- 18 गत्ते व कुछ खुले जिनका वजन 06 कुन्टल जिनमे अवैध विस्फोटक पदार्थ (पटाखे) विभिन्न कम्पनियो का
2- एक अदद महिन्द्रा पिकअप गाडी रजि सं0- UP27AT4703 अन्तर्गत 207 एम0वी0 एक्ट (सीज),

पुलिस टीम का विवरण

3- थानाध्यक्ष सोनी शुक्ला, थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,
4- उ0नि0 नीरज कुमार सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,
5- मु0आ0 146 ज्ञानेश शर्मा थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,
6- का0 2297 सुनील कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर,
7- का0 2323 रोहित यादव थाना बण्डा जनपद शाहजहांपुर